न्यायालय उप खण्ड अधिकारी मण्डरायल

क्रमाक– /2017 मु० नं० 8/17 प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट ता0रजू 26.7.2017

उनवान

वेदप्रकाश बनाम जगदीश वगै0

26.7.2017	यह प्रार्थना पत्र सायल की ओर से श्री संजेश शर्मा वकील ने पेश किया जिस पर कार्यालय रिपोट ली गई। कार्यालय रिपोर्ट का अवलोकन किया गया वकील सायल को प्रार्थना पत्र पर सुना गया। वकील सायल का बहस में कथन है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 960/2 रकवा 8 वीधा 5 विस्वा ग्राम पांचोली तहसील मण्डरायल मे स्थित है जो सायल व गैरसायल नम्बर 1 ता 7 के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की है जिसमे सायल का 1/8 हिस्सा है। गैरसायल नम्बर 1 ता 7 का सामान्य हिस्सा 1/8–1/8 है गैरसायलान ताकतबर सहजोर पैसे वाले व्यक्ति है। सायल कमजोर स्थिति का व्यक्ति है। गैरसायलान 1ता 7 सायल को संयुक्त काश्त करने मे व्यवधान पैदा करते है। दिनांक 17.7.2017 को सायल ने गैरसायलान नम्बर 1 ता 7 से सायल के हिस्से का बटवारा करने की कहा तो गैरसायलान ने इन्कार कर दिया और सायल के कब्जे काश्त मे दखल करने एवं भूमि को बिना बटबारा कराये रहन व्यय पर उतारू है इस लिऐ गैरसायलान को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली मे प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्बत 2070–73 मे विवादित आराजी सायल व गैरसायलान नम्बर 1 ता 7 के सयुक्त खातेदारी मे अंकित है। जिससे प्राईमाफ्रेसीकेंस व सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णिय क्षति सायल के पक्ष मे प्रतीत होती है सायल ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन मे अपना शपथ पत्र भी प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किया है। अतः गैरसायलान को आगामी तारीख पेशी तक अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है। कि वह विवादित आराजी खसरा नम्बर 960/2 रकवा 8 वीधा 5 विस्वा ग्राम पांचोली तहसील मण्डरायल की रिकार्ड व मौका की स्थिति यथावत बनाये रखे। प्रार्थना पत्र सायल दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली वास्ते तलबी गैरसायलान दिनांक 23.8.2017 को पेश हो।

नोटिस जारी 1065–72 28–7–17

23.8.17 पत्रावली पेश हुई। वकील सायल उप० गैरसायल कि ओर से रामसहाय पाराशर एड० ने जवाब T.I. पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। गैरसायल नं. 8 कोई जवाब पेश नही करना चाहते है अतः जवाब बंद किया जाता है। वकील उभय पक्ष कि बहस T.I. सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रकरण के तथ्यो से एवं प्रार्थना पत्र से सम्बन्धित दावा प्राथमिक डिक्री हो चुका है ऐसी स्थिति मे विवादित आराजीकि यथा स्थिति रखा जाना उचित प्रतीत होता है

अतः प्रार्थना पत्र सायलान आंशिक स्वीकार किया जाता है। उभय पक्षकारान को तो फैसला दावा पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि आराजी खं० नं. 960/2 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा ग्राम पांचोली तह०- मण्डरायल के मौका व राजस्व रिकार्ड कि स्थिति यथावत बनाये रखे। पत्रावली फैसल समाप्त होकर नम्बर से कम होकर मूल दावा के साथ सलग्न हो निर्णय लिखाया जाकर सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
मण्डरायल जिला-करौली